

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:-16(1)राज.6 / 2004 / 7


जयपुर, दिनांक:-

8/2/13

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 के उप-नियम (1) के खण्ड (vii) का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा श्री पूर्णचन्द महेरड़ा, पूर्व जिला परिषद सदस्य, निवासी चक 1 डीबीएन, ग्रा. प. भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़, को उपखण्ड सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित भू आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत करती है।

राज्यपाल के आदेश से,


(लेखराज तोसावड़ा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वि० सहायक, मा० राजस्व मंत्री महोदय, राज०।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व।
3. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्राणालय राज० जयपुर को अधिसूचना का दिनांक 8/2/13.....राजपत्र में प्रकाशन बाबत।
6. श्री पूर्णचन्द महेरड़ा, पूर्व जिला परिषद सदस्य, निवासी चक 1 डीबीएन, ग्रा. प. भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़, उपखण्ड सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
7. उप निबंधक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. राविरा राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव